

मूलवाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, आर०२०२०२००)
प्रकरण संख्या - 141/2018 (रे.वाद)

वादीपक्ष -

1. रायसिंह पिता स्व० किशनसिंह राजपूत (सोलंकी) निवासी स्वरूपपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष -

1. मनोहर कुँवर बेवा रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. रूप कुँवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. कैलाश कुँवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. पप्पु कुँवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

दावा :- घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से - श्री फतेहलाल बोहरा, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से - परोकार सरकार

मैं इस आशय में दिनांक 27/06/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहने एवं वादी का वाद कुसंयोजन एवं असंयोजन से प्रभावित होने से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

प्रारम्भिक डिक्री आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



18
(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द